सत्यमेव जयते

Case No. 26/2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/DEV-2280/JH/57/2023-ESDW-RU-IV
NCST/DEV-2301/JH/58/2023-ESDW-RU-IV
NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW-RU-IV
NCST/DEV-1147/JH/5/2022-ESDW-RU-IV
NCST/DEV-884/JH/15/2022-ESDW-RU-IV
NCST/DEV-561/JH/22/2022-ESDW-RU-IV
NCST/DEV-118/JH/6/2021-ESDW-RU-IV

दिनांक : 18.12.2024

श्री चंदन कुमार
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी
जिला - रामगढ़
डीसी कार्यालय,
छत्तर मांडू, रामगढ़ - 829122
E.mail: dc-ramgarh@gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक **27/12/2024** को **11:30 AM** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

<u>मामलें का संदर्भ</u> :-

<u>संदर्भ 1</u> झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले से प्राप्त शिकायतों से संबन्धित सात मामलो के संबंध में।

<u>संदर्भ 2</u> आयोग का पत्र दिनांक 18.12.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 18/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003